

चूनातम भजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुमति नियोजनों में देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता

प्राप्ततम भजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत चालाक संख्या-164/36 ३-2014-07 (न्य०१०)/४ दिनांक 28-1-2014 द्वारा 50 तथा अधिनियमा संख्या-850/36 ०३-२०१०-०३(न्य०१०)/०६ दिनांक 30 जिलम्बर 2019 द्वारा 15 अनुमति नियोजनों में नियोजित कर्मचारों ८५० भजदूरी की मूल दरा पर्याप्तताएँ भत्ता का निर्धारण किया गया है। भजदूरी भी जो दरे प्रति आपात पर नियोजित हो गयी है उनकी दैनिक दर मूल भजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/25 से कम तथा प्रति घंटे पर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उपर्युक्त कामोंका ८५० भजदूरी की मूल दरा पर्याप्तताएँ भत्ता का निर्धारण किया गया है। भजदूरी भी जो दरे प्रति आपात पर नियोजित हो गयी है उनकी दैनिक दर मूल भजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/25 से कम तथा प्रति घंटे पर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उपर्युक्त कामोंका ८५० भजदूरी की मूल दरा पर्याप्तताएँ भत्ता का निर्धारण किया गया है। भजदूरी भी जो दरे प्रति आपात पर नियोजित हो गयी है उनकी दैनिक दर मूल भजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/25 से कम तथा प्रति घंटे पर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

..... X 5750/- ८० ३७८०/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल भजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता, नासिक एवं दैनिक भजदूरी की दरे निम्नलिखित हैं:-

| कामोंका | श्रेणी | प्रतिमाह मूल भजदूरी रुपये में | प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रुपये में दिनांक: १.१०.२०२१ से ३१.३.२०२२ तक | दिनांक: १.४.२०२२ से ३०.९.२०२२ तक | | |
|---------|---------|-------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | दिनांक: १.४.२०२२ से ३०.९.२०२२ तक | कुल भजदूरी (रुपये में) | दैनिक भजदूरी (रुपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 5750 | 3434 | 3780 | 9530.00 | 366.54 |
| 2 | अधेकुशल | 6325 | 3777.29 | 4158 | 10483 | 403.19 |
| 3 | कुशल | 7085 | 4231.16 | 4658 | 11743 | 451.65 |

नियोजन के नाम:-

1. एवर की विनिर्माणशाला और एवर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेश ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेशी और मिल्क डेशी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बंध तटवन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नसिंग होम्स) एवं प्राइवेट वलीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानें।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें ५० से कम व्यक्ति नियोजित हो।
17. धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माण शाला।
18. धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सकर्म और कर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. तम्याकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री)लटडा बनाने और काष्ठ कार्य,जिसके अन्तर्गत किसी अन्य घन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में दुकानों में दुकानों में
26. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
27. आवल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
28. तेल मिल।
29. लोक मोटर परिवहन।
30. यॉन्ट्रिक परिवहन कर्मशाला।
31. आटोमोबाइल रिपर्यर्स कर्मशाला।
32. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
33. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
34. धिकन के कार्य।
35. दियासलाई उद्योग।
36. आइसकैण्डी / आइसकीम विनिर्माणशाला।
37. देकरी और विस्कुट विनिर्माणशाला।
38. बर्क विनिर्माणशाला।
39. बर्क विनिर्माणशाला।

40. एस्प्रेसस सामन्त कारखाना और अन्य सामन्त उत्पाद विनिर्माणकालीन।
 41. लोगों की और भूलाई अधिकारी।
 42. जिल्हाधारी।
 43. कोन्फर्मेंट।
 44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफिक्ट्रोज़।
 45. निजी मुद्रणालय।
 46. सिनेमा उद्योग।
 47. कपड़ा छपाई।
 48. शिलाई उद्योग।
 49. एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, चूनानी कार्मिकी।
 50. बल्ब।
 51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की चुनाई) जूरी के कार्म।
 52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के सामुन या सिलिकेट या साबुन का चुरी या प्रशालक विनिर्माण।
 53. जमी कम्बल बनाने के अधिकारी।
 54. खाषड़कारी।
 55. हथकरघा उद्योग।
 56. शक्ति यांत्रिक करघा उद्योग।
 57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवं कौच उत्पादों के निर्माण।
 58. कागज, गाता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59. ईट भट्ठा उद्योग।
 60. ताला उद्योग के नियोजन में।
 61. पीतल के बत्तों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुखा कर्मी(सुखा कर्मिया) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहेत आदि कर्मी समिलित हो।
 63. बुहारने और साहाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुद्ध सीधालयों का निर्माण(प्रतिक्रिया) अधिनियम, 1993 के अनुसार तो नियिद्वि किया—कालाप समिलित नहीं है।
 64. परेल कामगारों का नियोजन।
 65. कम्प्यूटर हाईवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66. एल०पी०जी० वितरण एवं सबधित सेवाओं में नियोजन।
 67. टेक्सीज, आटोरिक्षा / टैम्पो एवं ट्रैक्सिंग अभिकरण में नियोजन।
 68. कैबिन आपरेटर एवं सबधित सेवाओं में नियोजन।
 69. गैर सरकारी संगठन(एन०जी०जो०) एवं सबधित सेवाओं में नियोजन।
 70. विक्रय सर्वर्चन(विक्रय सर्वर्चन(सेवा शास्त्र)अधिनियम 1976 के अधीन समिलित अध्या समिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71. हेयर कटिंग सेलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलाय) में नियोजन।
 72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73. काल सेन्टर/आई०टी० इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74. ऐसे प्रतिक्रियान् जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आवश्यकित न हो, में नियोजन।

(अजय कुमार निधा)

सहायक अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या-२६८-७६

प्राप्तिनिधि-(एम०डब्ल्यू०)/१५

दिनांक ३१/०३/२०२०

प्रतिलिपि—

- समस्त शेशीय अपर/उप अम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अलौनस्थ अधिकारीयों को अवगत कराये तथा अभिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा भी जाने पर उपतंक कराए।
- अनुसूचित उ०प्र०शासन अम अनुभाग-३, लखनऊ।
- सहायक निदेशक अम एवं रोजगार मंत्रालय(प्रैज रोल) भारत सरकार नहीं है—मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिकारीय निदेशक उद्योग बहु लखनऊ।
- उप अम आयुक्त(आई० आर०) मुख्यालय कानपुर।
- अपर अम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त शेशीय अपर/उप अम आयुक्त कोई है—मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयालय, मुख्यालय को अभिलेखार्थी प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामाज्य की जानकारी हेतु जनहित में निश्चल प्रकाशन।

31.३.२०२०

(अजय कुमार निधा)

सहायक अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।